कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) विभाग गुना म0प्र0

क्रमांक/डीडीआरसी भर्ती/2024-25/999 गुना, दिनांक 26/11/24

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक/2475/1306216/23/26-2 दिनांक 23.08.2023, पत्र क्र./दि.सश.-2/एफ-173/2024-25/2263 दिनांक 11.07.2024 एवं क्र./दि.सश.-2/एफ-173/ 2024-25/2941 दिनांक 30.08.2024 में दिये गये निर्देशानुसार एवं कलेक्टर महोदय जिला गुना की अध्यक्षता में जिला प्रबन्धन समिति द्वारा दिनांक 10-10-2024 को बैठक में सर्वानुमति से लिये गये निर्णयानुसार दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र एवं स्थायी पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय हेतु भारत शासन के सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र हेतु निर्धारित आवश्यक सेटअप के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवश्यक अर्हता / योग्यता एवं गुना जिले की एन. आई.सी. द्वारा विकसित बेवसाईट https://guna.nic.in/ अथवा कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला-गुना तथा कार्यालय कलेक्टर जिला- गुना के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक 02.12.2024 से दिनांक 16.12.2024 तक सायंकाल 05:00 बजे तक कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गुना (डीडीआरसी भवन) पुलिस लाईन केन्ट थाने के पीछे तह. गुना जिला गुना में आमंत्रित किये जाते है। नियत तिथि के पश्चात डाक तथा किसी भी प्रकार से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण, आवश्यक अर्हता/योग्यता एवं निर्धारित मानदेय निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं	मानदेय प्रतिमाह
1	2	3	4	5
1	क्लीनिकल मनोचिकित्सक/ पुनर्वास मनोचिकित्सक (कोई एक पद)	1	क्लीनिकल मनोचिकित्सक (क) क्लीनिकल मनोचिकित्सा में एम.फिल. (ख) क्लीनिकल मनोचिकित्सा में व्यवसायिक डिप्लोमा पुनर्वास मनोचिकित्सक (क) पुनर्वास मनोचिकित्सा में एम.फिल. (ख) पुनर्वास मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)	20500-00
2	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट (ओएच श्रेणी) (कोई एक पद)	1	आर सी आई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बीपीओ) में स्नातक	20500-00
3	ऑडियोलाजिस्ट और सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट (कोई एक पद)	1	ऑडियोलॉजी और स्पीच एंड लैग्वेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी) में स्नातक बी. एस सी स्पीच एंड हियरिंग	20500-00
4	श्रवण सहायक/ जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट (कोई एक पद)	1	श्रवणयंत्रों की जानकारी/ मरम्मत / कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा (डीएचएलएस) ईयर. मोल्ड तकनीशियन हियरिंग एयड रिपेयर और ईयरमोल्ड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)	16000-00
5	गतिशीलता प्रशिक्षक	1	दसवी+गतिशीलता सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा अधिमानतः गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एससी.) अथवा दृष्टिबाधित में डी.एड. विशेष शिक्षा/बी.एड. विशेष शिक्षा	14500-00

Nitesh 24 New

(विशाल सिंह)
अति. मुख्य कार्यपालन अधि
एवं प्रभारी उप संचालक
सामा. न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण जिला गुना (म.प्र.)

6	बहुउद्देश्यीय पुनर्वास कार्यकर्ता	1	पी जी डी सी बी आर में पोस्ट ग्रेजुएट / समुदाय आधारित पुनर्वास (डी सी बी आर)/ समुदाय आधारित समावेशी विकास (सी बी आई डी) एमआरडब्ल्यू में डिप्लोमा	14500-00
7	व्यवसायिक परामर्शदाता सह कम्प्यूटर सहायक	1	व्यवसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डी वी आर)/ बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (ए डी सी जी सी)/ पुनर्वास विज्ञान में स्नातक (बी आर एस सी)	14500-00
8	ट्रांस-डिसिप्लिनरी विशेष शिक्षक	1	श्रवण बाधिता में डीईडीएसई / बीईडीएसई	16000-00
9	प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट	1	पीजीडीडीटी/ पीजीडीईआई/ बीएमआर/ बीआरएससी/ बीआरटी/ एमआरएससी / एमएससीई- आई	14500-00
10	केयर गिवर	1	सीसीसीजी / आरसीआई-सी सीसीजी / राष्ट्रिय न्यास या कक्षा VIII उत्तीर्ण जिसमें दिव्यांगजनों की देखभाल में 3 साल का अनुभव हो। अनुभव	6250-00
11	एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर	1	स्नातकोत्तर एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव अनुभव	18000-00
12	चौकीदार	1	8वी पास	कलेक्टर दर पर (अकुशल श्रमिक)
प्रस्तावित मानदेय राशि में शासन द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो इसपर लागू होगें।				

नियुक्ति संबंधी शर्तें :-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संचालनालय भोपाल का परिपत्र क्र./दि.सश.-2/एफ-173/2024-25/2263 दिनांक 11.07.2024 के निर्देशानुसार भारतीय पुनर्वास परिसर RCI (आर.सी.आई) का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर 01 वर्ष के लिये है, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस एवं एक माह का वेतन/मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 01 वर्ष के पश्चात संविदा वृद्धि वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर सेवाएं बढाई जावेगी।
3. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
4. म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक/सी3-8/16/3/एक भोपाल दिनांक 04.07.2019 के अनुसार आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. उपरोक्त सभी पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होंगे।
6. सभी पद निश्चित मानदेय पर स्वीकृत हुए हैं। उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार का भविष्य में नियमितीकरण किए जाने हेतु कोई भी दावा/वाद-विवाद स्वीकार एवं मान्य योग्य नहीं होगा।
7. आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
8. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल म.प्र. के परिपत्र क्रमांक/सी 3-8/2016 /1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 के नियमानुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थी की अधिकतम आयु निम्नानुसार होगी।

   (i)सामान्य वर्ग के लिये 40 वर्ष

   (ii)अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम मंडल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन, महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये-45 वर्ष।
9. पदो के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता में प्राप्तांको के आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी, तथा प्रवीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियो का चयन किया जायेगा।

Nitesh 24 New

(विशाल सिंह)
अति. मुख्य कार्यपालन अधि
एवं प्रभारी उप संचालक
सामा. न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण जिला गुना (म.प्र.)

10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओ/कार्यालयो में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रेषित करेंगे। सीधे आवेदनो पर विचार नही किया जायेगा।
11. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, मूल-निवासी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा।
12. उम्मीदवार को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारुप पर अपनी पूर्ण जानकारी, प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित स्वच्छ एवं पठनीय छायाप्रतिया संलग्न करना अनिवार्य होगा, अधुरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रो पर कोई विचार नही किया जायेगा।
13. आवेदन पत्रो में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नही किया जाता है, एवं शर्ते पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. विशेष योग्यता वाले पदों में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि अनिवार्य होगी।
15. उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाये उसके सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम एवं लिफाफे के नीचे बायीं ओर अपना नाम पता मोबाईल नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संचालनालय भोपाल का परिपत्र क्र./दि.सश.-2/एफ-173/2024-25/2263 दिनांक 11.07.2024 के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्र के अनुभव के लिए जिस संस्था में कार्य किया हो उसका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
17. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं संबंधी प्रमाण-पत्रों में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
18. शासन के आदेशानुसार कोई भी अभ्यार्थी जिसके दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा। लेकिन यदि बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक संताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जायेगा।
19. चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय पर ही रहना होगा, चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निष्पादित अनुबंध संविदा नियमों का पालन करना होगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना होगा।
20. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी पर म०प्र० सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 प्रभावशील होगा।
21. सविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमो या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए रद्द कर दी जायेगी।
22. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करनें की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाकर वरीयतानुसार चयनित अगले उम्मीदवार को नियुक्त किया जावेगा ।
23. आवेदक की संविदा नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा । इसके पश्चात ही मानदेय भुगतान होगा।
24. नियुक्ति की प्रक्रिया- जिला प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर गणना के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेंगी। दो आवेदकों के समान अंक / प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरियता प्रदान की जावेगी।
25. प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात पात्र उम्मीदवारों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेंगी, जो आवेदक/आवेदिका पात्र नहीं होगा, उन्हें पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
26. नियुक्ति के पश्चात पद रिक्त होने पर प्रावीण्यता सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा। एक पद के विरूद्ध 03 उम्मीदवारों की प्रतिक्षा सूची बनाई जायेगी।
27. उक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई समस्या/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष जिला प्रबंधन दल (कलेक्टर जिला-गुना) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

(विशाल सिंह)
अति. मुख्य कार्यपालन अधि
एवं प्रभारी उप संचालक
सामा. न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण जिला गुना (म.प्र.)

Nitesh 24 New

28. आवेदन पत्रों पर जमा करने की अंतिम तिथि 16.12.2024 है। उक्त दिनांक तक कार्यालयीन दिवसों में आवेदन पत्र कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गुना (डीडीआरसी भवन) पुलिस लाईन केन्ट थाने के पीछे तह. गुना जिला गुना में शाम 5:00 बजे तक स्वयं अथवा डाक से जमा किये जा सकते हैं। दिनांक 16.12.2024 को निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त तथा डाक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में विचार नहीं किया जायेगा।
29. चयन उपरान्त उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन उपरान्त नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।
30. विज्ञापन का अवलोकन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप https://guna.nic.in एनआईसी की बेवसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

समिति सचिव एवं
प्रभारी उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण जिला गुना म0प्र0

Nitesh 24 New